राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन
2007-08

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियॉं

राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग एवं मानव संसाधन को बढ़ावा देने के लिये एवं आमजन को बेहतर सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सरकारी कार्यों मे गुणात्मक सुधार किये है। सरकार ने अपनी क्षमता व उत्पादकता को बढ़ाने के लिये सूचना एवं संचार तकनीक को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में चिन्हित किया है। इस दिशा में राज्य सरकार ने वर्ष 2007–08 में कई परियोजनाओं को आगे बढ़ाया है व कई नई परियोजनायें आरंभ की है।

राज्य में सूचना एवं संचार तकनीक के समग्र विकास के उद्देश्य को पूरा करने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग एक नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य कर रहा है। इस विभाग की प्रमुख गतिविधियों में – सूचना प्रौद्योगिकी आधारित नीति का निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता, राज्य सरकार के विभागों को तकनीकी सहायता प्रदान करना व उनकी आन्तरिक गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण करना है।

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग में राजस्थान राज्य कम्प्यूटर एवं अधिनस्थ सेवा संवर्ग के कर्मचारी व अधिकारी अतिरिक्त निदेशक, सिस्टम एनालिस्ट, एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, प्रोग्रामर, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं डेटा एन्ट्री ऑपरेटर कार्यरत हैं। वर्त्तमान में मुख्यालय में 60 अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के कार्यविधि नियम

मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश संख्या प.27(1)मंमं/2002 दिनांक 13 मई, 2002 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के कार्यविधि नियमों में संशोधन किया गया। संशोधित कार्यविधि नियम निम्न प्रकार से है:–

1 राजस्थान में कम्प्यूटरीकरण के लिये नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना। सरकारी विभागों और संगठनों में कम्प्यूटर, दूरसंचार और आधुनिक कार्यालय उपकरणों को सम्मिलित करते हुए राज्य में सूचना के प्रयोग के प्रति जागरूकता पैदा करना, उन्हें प्रोत्साहित करना एवं उनका प्रचार करना। प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार के विकास और प्रयोग से संबंधित सभी पहलुओं पर नीतियों का निरूपण करना:

(क) समग्र निर्देश और मागदर्शन करना।

(ख) विभागों के कम्प्यूटरीकरण के लिये नीति और उनके क्रियान्वयन को मॉनिटर करना।

(ग) सरकार में प्रयुक्त होने वाली समुचित संचार/नेटवर्क प्रौद्योगिकी की पहचान करना।

(घ) बैण्ड विड्थ की उपलब्धता और उत्तम गुणवत्तायुक्त ध्वनि तथा आँकडा प्रेषण सुविधाओं का निर्धारण करना।

(ङ) दूरसंचार के प्रसार के लिये, विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में, इन्टरनेट सुविधाओं के लिये नीति बनाना।

(च) राज्य के लिये अपेक्षित दूरसंचार प्रौद्योगिकी के मानकीकरण के लिये नीति बनाना ।

(छ) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्षेत्र में विनिमय के प्रयोजनार्थ प्रोत्साहनकारी गतिविधियों के लिये युक्ति तैयार करना।

(ज) स्थानीय भाषाओं को प्रेरित करना।

(झ) सूचना प्रौद्योगिकी एवं इन्टरनेट सुरक्षा नीति।

(ण) नीति निरूपण एवं क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त संगठनात्मक संरचना सृजित करना, और

(ट) सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार परियोजनाओं की वित्त घोषणा के लिए नीति बनाना।

2 सरकार की सभी एजेन्सियों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार अवसंरचना के सृजन और सुदृढिकरण के मामले में समन्वय करना।

3. निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए इलेक्ट्रानिक गवर्नेन्स का सूत्रपात करना :

(क) राजस्थान राज्य में ई–गवर्नेन्स का समन्वय और समग्र डिजाइन ।

(ख) सभी सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार परियोजनाओं में सिटिज़न इन्टरफेस को प्रोत्साहित करना।

(ग) राज्य में ई–गवर्नेन्स परियोजनाओं के क्रियान्वयन का परिवेक्षण करना ।

(घ) आँकड़ा संकलन, रामेकन और प्रसार के लिए मानक सांकेतिक शब्दों के विकास का समन्वय करना ।

(ङ) सम्पूर्ण राज्य में इन्टरनेट और ई–कामर्स को प्रोत्साहन देना।

(च) उपध्यता रिपोर्ट की तैयारी के लिए राज्य की एजेन्सीयों को तकनीकी सलाह प्रदान करना।

(छ) व्यवहार अनुकूल और मानक कम्प्यूटर हार्डवेयर अनुप्रयोज्य साफ्टवेयर संचार डिवाइस/प्रोटोकॉल के चयन, उपार्जन, स्थापन और क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सलाह देना।

(ज) विभिन्न विभागों में ऑफिस ओटोमेशन का क्रियान्वयन।

(झ) सरकारी विभागों/निधिप्रदत्त एजेन्सियों/बी.ओ.ओ.टी या बी.ओ.ओ. परियोजनाओं द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की प्रगति का पुनरावलोकन, और

(ण) सरकारी विभागों के दैनिक प्रशासनिक कार्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के प्रयोग को मॉनीटर करना।

4. निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए विनिधान को प्रोत्साहन देना

(क) सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार क्षेत्र मे विनिधान के लिए प्रोत्साहनकारी गतिविधियों के लिए युक्ति तैयार करना।

(ख) राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार उद्योग को प्रोत्साहन देना।

(ग) कम्प्यूटरीकरण के लिए नए क्षेत्रों का विकास करना।

(घ) ऐसी नई प्रौद्योगिकी को प्रौत्साहित करना जो जीवन स्तर को उन्नत करें, और

(ङ) सूचना प्रौद्योगिकी सामर्थ्ययुक्त सेवाओं को प्रोत्साहन देना।

5. निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार अवसंरचना का स्थापन

(क) राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का संस्थापन ।

(ख) ग्रामस्तर तक ब्रोडबैण्ड डिजिटल संबन्धता के स्थापन को सुकर बनाना।

(ग) राज्य में दूरसंचार अवसंरचना के सुधार के लिए डी.ओ.टी./वी.एस.एन.एल./बी. एस.एन.एल. या अन्य सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की एजेन्सीयों के साथ समन्वय करना

(घ) समुचित संचार/नेटवर्क प्रौद्योगिकीं की पहचान करना और सरकार/उद्योग/सार्वजनिक क्षेत्रों विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में अनुप्रयुक्त करना।

6. उच्च गुणवत्ता की कम्प्यूटर शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

7. कम्प्यूटर और इन्टरनेट के प्रति जागरूकता और उसके प्रयोग को बढ़ाने के लिए पुनावर्या पाठ्यक्रमों/सेमिनार/कार्य शालाओं/प्रशिक्षण की व्यवस्था और समन्वय करना। महत्वपूर्ण साहित्य और नियमावलियों को प्रकाशित करना और उन्हें वितरित करना।

8. सभी सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार संगठनों का समन्वय यथा एन.आई.सी. इलेक्ट्रानिक साफ्टवेयर प्रयोजन काऊन्सिल, नास्कॉम का सूचना प्रौद्योगिकी और संचार से सम्बन्धित भारत सरकार के विभागों के साथ समन्वय।

9. विभाग के नियन्त्रण के अधीन कम्प्यूटर एवं संचार वृतियों की भर्ती और संवर्ग प्रबन्धन।

10. कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग को आबंटित मामलों से भिन्न सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन के अधिकारियों और कर्मचारियों से सम्बन्धित स्थापन के समस्त मामले ।

11. प्रशासनिक विभाग की भूमिका में कम्प्यूटर विशेषज्ञों की नियुक्ति एवं संवर्ग व्यवस्था नियंत्रित करना।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग हेतु आबंटित बजट 2003–2004 के 1035.00 लाख रूपये से बढ़ा कर 2007–2008 में 5250.01 लाख रूपये किया गया है।

महत्वपूर्ण निर्णय

भारत सरकार की राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स परियोजना (NEGP) के दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में ई–गवर्नेन्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को गति प्रदान करने के उददेश्य से चार समितियों मुख्यतः :– ई–प्रशासन परिषद (State e-Governance Council), राज्य स्तरीय शीर्षस्थ समिति (State Level Apex Committee), परियोजना ई–प्रशासन लक्ष्य दल (Project e-Governance Mission Team) तथा राज्य ई–प्रशासन लक्ष्य दल (State e-Governance Mission Team) का गठन किया गया है।

- नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण 01.12.2007 को माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा कर दिया गया है। नीतिगत उद्देश्य निम्नलिखित है–
  - ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों का सृजन एवं विकास,
  - रोजगार के बेहतर अवसरों की उपलब्धता,
  - सूचना प्रौद्योगिकी आधारित ई–प्रशासन तंत्र द्वारा बेहतर सूचनाओं एवं सेवाओं की उपलब्धता से व्यक्ति एवं समाज का सशक्तिकरण,
  - सरकार–नागरिक के मध्य व्याप्त दूरी को मिटाना।
- उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये निम्नलिखित श्रेणियों में नीतिगत पहल सम्मिलित की गयी है–
  - सूचना प्रौद्योगिकी आम जन के लिये।
  - सुशासन संवर्धन के लिये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी।
  - IT/ITES क्षेत्र में निवेश से राज्य का आर्थिक विकास संवर्धन।

उपलब्धियां

ई–गवर्नेन्स – जनता के लिये सूचना संचार तकनीक आधारित सेवायें

- **ई–मित्र** – यह परियोजना राज्य के 32 जिलों में निजी सहभागिता से क्रियाशील कर दी गई है। राज्य की शहरी एवं ग्रामीण जनता को समस्त राज्य एवं केंद्र सरकार के विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों एवं निजी क्षेत्र के संगठनों से संबंधित सेवाओं को "ई–मित्र" के माध्यम से

उपलब्ध करवाया जाना आरम्भ कर दिया है। वर्तमान में राज्य में 700 से अधिक ई–मित्र कियोस्क कार्य कर रहे हैं। नागरिक सेवा केन्द्रों को ई–मित्र से जोड़ दिया जायेगा।

- **Chief Minister Information System (CMIS)** - मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न विकास कार्यों की कम्प्यूटर की सहायता से तीव्र गति से समीक्षा करने के उद्देश्य से Chief Minister Information System (CMIS) का क्रियान्वयन किया गया। इसके माध्यम से राज्य में चल रही विभिन्न परियोजनाओं, केन्द्रीय प्रवर्तित, राजकीय एवं अन्य वित्तीय सहायता से क्रियान्वित, का प्रबोधन किया जाता है। साथ ही माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा की गई विभिन्न घोषणाओ, बजट घोषणाओं इत्यादि का प्रबोधन भी इस तंत्र द्वारा किया जाता है। जिलों में किये जा रहे विकास कार्यों की जानकारी इस तंत्र के माध्यम से माननीया मुख्यमंत्री महोदया हेतु समय समय पर उपलब्ध करवायी जाती है।

- **नागरिक सेवा केन्द्र** – राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में एक ही छत के नीचे विभिन्न सरकारी एवं निजी क्षेत्र की सूचनाएं एवं सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सम्पूर्ण राज्य में 6600 से अधिक नागरिक सेवा केन्द्र स्थापित किये जायेंगें। माननीया मुख्यमंत्री महोदया के बजट भाषण 2007–08 में की गई घोषणा की अनुपालना में संचालन हेतु समस्त नागरिक सेवा केन्द्रों का आवंटन महिलाओं को किये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

- **ई–ग्राम** – इस परियोजना का क्रियान्वयन NIC के सहयोग से किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण स्तर की आधारभूत आवयकताओं का प्रबोधन करना है।

- **स्वास्थ्य मित्र : टेलिमेडिसिन** – राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में विशि ट चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराने के लिये इसरो (ISRO) की सहभागिता से राज्य में टेलिमेडिसिन नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना के अन्तर्गत संभागीय मुख्यालयों पर स्थित 6 चिकित्सा

महाविद्यालयों तथा 31 जिला अस्पतालों, के मध्य यह सुविधा आरंभ किया जाना प्रस्तावित है। इन में से 37 केन्द्रों पर यह सुविधा सफलता पूर्वक आरंभ कर दी गई है।

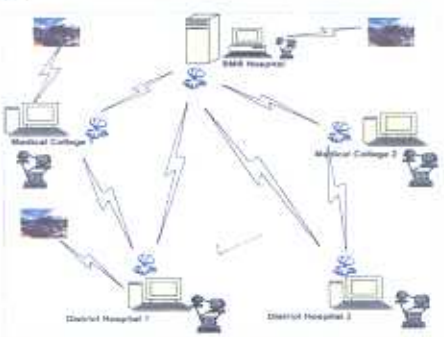

- **पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग परियोजना (सारथी)** – पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के सभी 259 उप पंजीयक कार्यालयों का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है। किसी भी एस.आर. कार्यालय के क्षेत्र में आने वाली स्थावर संपत्ती का पंजीकरण किसी भी स्थान से करवाने की व्यवस्था हेतु एप्लीकेशन सोफ्टवेयर विकसित कर जयपुर के 11 उप पंजीयक कार्यालयों में पायलट आधार पर परीक्षण हेतु क्रियान्वित कर दिया गया है।

- राज्य की सभी 241 तहसीलों के 68 लाख भू–धारियों के रिकोर्ड्स को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। जमाबंदियां जनता को कियोस्कों द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

- सूचना के अधिकार का पोर्टल विकसित किया जा रहा है जिसके द्वारा नागरिकों को सूचना के अधिकार के प्रति जागरूक किया जा सकेगा। विभिन्न सरकारी विभागों के नागरिक अधिकार पत्र राज्य सरकार की वेब साईट पर उपलब्ध हैं।

- राज्य के समस्त 11 जोनल मुख्यालयों एवं 56 नियमित वृत्तों पर वैट (VAT) स्वचालित तंत्र क्रियान्वित किया जा चुका है। इस तंत्र में अन्य गतिविधियां जैसे–डीलर्स पंजीयन एवं राजस्व संग्रहण रजिस्टरों का संधारण भी सम्मिलित है। समस्त 137 वार्ड कार्यालयों को भी IT Enabled किया जाना है। Check-posts Management Information System भी क्रियान्वित किया जाना है।

राज्य सरकार के विभागों में बैक एण्ड कम्प्यूटरीकरण

- राज्य में ई–गवर्नेन्स तंत्र स्थापित करने के उद्देश्य की प्राप्ती के लिये राज्य सरकार के राजस्व सृजन करने वाले विभागों तथा आमजन को प्रभावित करने वाले विभागों जैसे – जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पर्यटन, वाणिज्य कर विभाग, आबकारी विभाग, पुलिस विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा विभाग, निर्वाचन विभाग, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, नगर पालिकाओं आदि का कम्प्यूटरीकरण प्राथमिकता पर किया जा रहा है। वर्ष 2007–08 में निम्न विभागों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है–

1. e-Gram project of NIC (Hon'ble CM's Mandate)
2. Devsthan Department
3. Social Justice & Empowerment Deprtment
4. Ayurved Department
5. Sainik Kalyan Vibhag
6. Cooeprative Department
7. SI & PF Department
8. Transport Department
9. Jail - Home Department
10. Archeology & Museum Department
11. CAD, Kota
12. Registration & Stamps Department, Ajmer
13. College Education Department
14. Forest Department
15. Rajasthan House, New Delhi
16. Bikaner House, New Delhi

- राज्य के समस्त कार्यालयों में ब्रोडबैंड के उपयोग हेतु आदेश जारी किये जा चुके है।

- **ई–क्रय तंत्र** – सरकारी विभागों में क्रय प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने तथा क्रय प्रक्रिया को शीघ्रता से संपादित करने के उद्देश्य से ई–क्रय तंत्र क्रियान्वित करने की कार्यवाही आरंभ कर दी गई है।

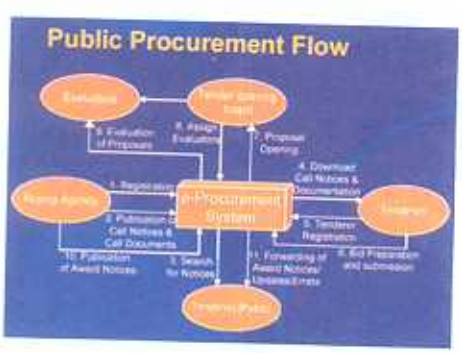

- **विकास दर्पण** – भौगोलिक सूचना तंत्र 'विकास दर्पण' विकेन्द्रित योजना के लिये एक यन्त्र है। इस तंत्र के द्वारा राज्य, 32 जिलों, 241 तहसीलों एवं 41,000 गांवों का संपूर्ण नक्शा एवं सैन्सस 2001 के संपूर्ण आंकड़े उपलब्ध करवाये जाते हैं। वेब आधारित GIS एप्लीकेशन http://gis.rajasthan.gov.in भी विकसित की जा चुकी है।
- National e-Governance Plan (NeGP) के अन्तर्गत् भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य के ई–गवर्नेन्स रोड मेप तथा कार्यक्षमता वर्धन रोड मेप को विकसित करने का कार्य NISG को सौंपा गया था। सलाहकार द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टस् को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन पश्चात क्रियान्वित किया जा रहा है। यह रिपोर्टस www.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
- **न्यायालयों का कम्प्यूटेराईज़ेशन** – राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एवं जयपुर की कुछ गतिविधियों को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। 30 ज़िला न्यायालयों का भी कम्प्यूटरीकरण किया जायेगा। इस परियोजना को NeGP के अन्तर्गत मिशन मोड परियोजना घोषित किया गया है।
- **Litigation Information, Traking & Evaluation System (LITES)** – इस परियोजना का विकास राज्य के प्रशासनिक विभागों में दर्ज विभिन्न मुकदमों के प्रभावी निबटारे के लिये किया गया है।
- **निगमीय संस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण** – संभागीय मुख्यालयों के समस्त छः नगर निगम कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है। 19 म्यूनिसिपल काउन्सिल/बोर्ड का कम्प्यूटरीकरण चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है। शेष 158 म्यूनिसिपल काउन्सिल/बोर्ड का कम्प्यटरीकरण चरणबद्ध रूप से किया जायेगा।

सूचना संचार तकनीक के इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण

- वाई–फाई सिटी – माननीया मुख्यमंत्री महोदया की बजट उद्घोषणा के क्रम में जयपुर शहर को वाई–फाई सिटी में परिवर्तित किया जायेगा जहां पर आम जन शहर के किसी भी हिस्से से वायरलैस द्वारा इन्टरनेट का उपयोग कर सकेगें। परियोजना पर कार्य आरंभ कर दिया गया है। इस परियोजना हेतु 4 कम्पनियों से 5 वर्ष का MoU Sign हो गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में चयनित स्थानों पर Hotspot क्रियाशील कर दिये जायेंगें।
- राज्य के समस्त 32 ज़िला–कलैक्टर कार्यालयों को विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग सुविधा द्वारा राज्य सचिवालय से जोड़ दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 09.08.2004 को विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग नेटवर्क राज्य को समर्पित कर दिया गया था।
- राज्य सचिवालय में 1000+ नोड्स का सचिवालय लोकल एरिया नेटवर्क (SecLAN) क्रियाशील कर दिया गया है, जिसके लिये कम्प्यूटर उपकरण, प्रिन्टर्स तथा आई.पी. फोन मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों को वितरित कर दिये गये हैं। जयपुर शहर के 30 सरकारी भवनों के मध्य MetroPoliton Area Network – MAN, क्रियाशील कर दिया गया है।

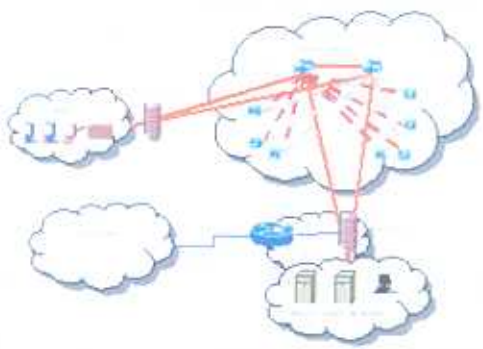

Technical Architecture (State Data Center)

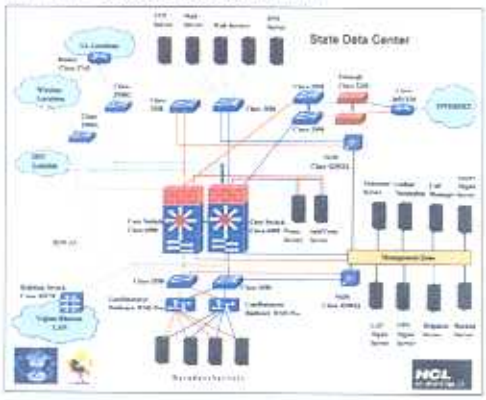

- राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित सूचनाओं के केन्द्रिय भंडारण हेतु राज्य स्तरीय सूचना/डेटा केन्द्र (State Data Centre-SDC) स्थापित कर दिया गया हैं। इस केन्द्र का उद्घाटन माननीया मुख्यमंत्री द्वारा 08.12.2005 को किया गया। इसी प्रकार 32 जिला मुख्यालयों पर ज़िला डेटा केन्द्र – District Data

Centre-DDC स्थापित कर दिये गये हैं। राज्य डेटा केन्द्र के इन्फ्रास्ट्रक्चर के सशक्तीकरण का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में राज्य स्तरीय सूचना/डेटा केन्द में 85 वेब साईट स्थापित कर कार्यशील कर दी गयी हैं। इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय सूचना/डेटा केन्द में जी. आई.एस., ई–क्रय तंत्र, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के लिए राजक्रेस्ट परियोजना के सर्वर एवं अन्य सरकारी विभागों की विभिन्न परियोजनाओं के सर्वर सफलतापूर्वक निरन्तर कार्य कर रहें है।

- राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों की जनता को सरकार से सुलभ संवाद स्थापित करने के अवसर उपलब्ध करवाने हेतु राज्य में दो Mobile V-SAT Van क्रियाशील कर दी गयी है। इस सुविधा के द्वारा राज्य के दूरस्थ इलाकों में स्थित किन्हीं भी दो स्थानों के मध्य डाटा/दृश्य/श्रव्य आधारित संवाद स्थापित किया जा सकता है। इस सुविधा का उपयोग आपदा प्रबंधन, सरकार एवं जनता के मध्य संवाद की स्थापना तथा कम्प्यूटर शिक्षा एवं जागरूकता बढ़ाने हेतु भी किया जा सकेगा।

हाल में ही इस सुविधा का उपयोग राज्य स्तरीय स्वास्थ्य चेतना यात्रा एवं ग्राम संपर्क यात्रा में किया गया था।

- **RajSWAN** – राज्य सरकार ने संचार आधारित इन्फ्रास्ट्रक्चर को आधुनिकतम बनाने के उद्देश्य से राज्य व्यापी नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिससे कि प्रशासनिक क्षमता एवं प्रभाव का विकास होगा।

RajSWAN परियोजना के लिये कुछ वित्तीय सहायता केन्द्र सरकार के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एन. ई.जी.पी. परियोजना के अन्तर्गत दी जा रही है। शेष वित्तीय सहायता राजस्थान सरकार द्वारा दी जायेगी।

इस परियोजना द्वारा प्रदेश के 32 जिलों व 241 तहसीलों को राज्य मुख्यालय से जोड़ा जायेगा। इस नेटवर्क द्वारा आंकड़ों, ध्वनि एवं विडियो से संबंधित संचार सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

RSWAN High Level Architecture

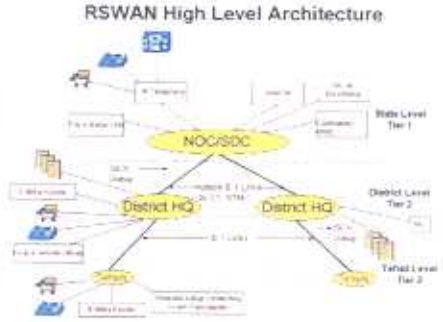

इस सुविधा द्वारा जिला व तहसील प्रशासनिक कार्यालय, डी. एल.ओ, पी आर आई.व ई–मित्र कियोस्क आपस में जुड़ सकेंगें।

कुछ समय पूर्व 'CARISMA' नामक परियोजना का कार्य आरंभ कर दिया गया है। इसके अन्तर्गत सभी ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालयों एवं राज्य मुख्यालयों से जोड़ा जायेगा। प्रथम चरण में राज्य की 1100 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जा रहा है। RajSWAN द्वारा 'CARISMA' के अधिकतम उपयोग की योजना तैयार की जा रही है।

- ई–डिस्ट्रिक्ट – इस परियोजना का क्रियान्वयन अजमेर, बांरा, जालौर एवं झालावाड़ जिले में प्रस्तावित है। इस परियोजना के द्वारा जिला प्रशासन एवं इसके अधिनस्थ कार्यालयों की आन्तरिक गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण किया जायेगा एवं इस परियोजना को ई–मित्र से जोड़ दिया जायेगा। इस परियोजना के लिये वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा दी जायेगी एवं चयनित जिलों में यह सहायता प्रदान कर दी जायेगी। परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रबंधन के लिये M/s PWC का सलाहकार के रूप में चयन कर लिया गया है।

मानव संसाधन विकास

- राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं के क्षेत्र में निपुण जनशक्ति के विकास हेतु लम्बी अवधी की कार्ययोजना (Talent Development Roadmap) तैयार करने के लिये सलाहकार नियुक्त कर लिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने सलाहकर की अनुशंसा के अनुसार कार्य प्रारंभ कर दिया हैं।
- राज्य में बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बी.पी.ओ.) को बढ़ावा देने के लिये नेसकॉम की सहायता से सोफ्ट स्किल्स के मूल्यांकन के लिये एक केन्द्र खोला जा रहा है। राजस्थान नास्काम की NASSCOM Assessment of Competance (NAC) परीक्षा आयोजित करने वाला प्रथम प्रदेश है। प्रथम परीक्षा नवम्बर 2006 में आयोजित की गई जिसमें 2500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों हेतु विभिन्न निजी कम्पनियों की सहभागिता में नास्काम द्वारा दिनांक 31 मार्च 2007 को जयपुर स्थित महारानी महाविद्यालय में एक job fair आयोजित किया गया था। लगभग 11 मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा 1600 साक्षात्कार किये गये एवं 600 अभ्यर्थियों को योग्य पाया गया। दिनांक 24–25 नवम्बर 2007 को आयोजित द्वितीय नेक परीक्षा में 1742 विद्यार्थी उपस्थित हुये। द्वितीय नेक परीक्षा के परिणाम जनवरी, 2008 मे घोषित कर दिये गये हैं।
- सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महिला उद्यमियों की क्षमता विकास/निपुणता के अद्यतन हेतु एवं ई–मित्र कियोस्क के संचालन हेतु महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा

रहा है। आदिनांक तक लगभग 3000 महिलाओं को प्रशिक्षित कर दिया गया है।

- **जनज्ञान** – पहियों पर शिक्षा 'जनज्ञान' तंत्र द्वारा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को सूचना प्रौद्योगिकी एवं आधारभूत अंग्रेजी भाषा की शिक्षा दी जायेगी। वर्तमान में पांच बसें क्रियाशील कर दी गयी हैं।

- **सरकारी कार्यालयों में क्षमता निर्माण**– ई–गवर्नेन्स को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिये कम्प्यूटर प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता है। इस हेतु राज्य के सभी संभागीय मुख्यालयों पर निजी प्रशिक्षण संस्थाओं को सूचीबद्ध कर प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ कर दिये गये हैं। वर्ष 2005 से अब तक लगभग 10000 कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

नवीन योजनाएं

- **बायोइन्फोरमेटिकस सेन्टर** – बिरला विज्ञान एवं अनुसंधान केन्द्र की सहभागिता से विकासशील बोयोइन्फोरमेटिक्स सेन्टर स्थापित किया जा चुका है। माननीया मुख्यमंत्री महोदया की बजट उद्घोषणा 2007–08 के अनुसार राज्य सरकार ने एकमुश्त 100 लाख रूपये उपलब्ध करवा दिये है। 1 अगस्त 2007 से यह केन्द्र कार्य कर रहा है।

- राजकीय महाविद्यालयों में निजी क्षेत्र की सहभागिता से 'नालेज सेंटर' स्थापित किये जा रहे है। जयपुर, अजमेर, कोटा एवं उदयपुर में 5 महाविद्यालयों में नालेज सेंटर कार्यशील कर दिये गये है।

- माननीया मुख्यमंत्री महोदया की दिनांक 01.12.07 को की गई घोषणा की क्रियान्विति में राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन की स्थापना का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। यह संस्था शहरी एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रोद्यौगिकी शिक्षा प्रदान करने का कार्य करेगी।

- राज्य सरकार ने शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाये जाने के लिये एवं IT/ITES क्षेत्र में रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिये नास्काम के साथ एक MoU Sign किया है।

- **सेकलेन का विस्तार** – अगले वित्तीय वर्ष 2008–09 में मेन के अन्तर्गत 17 सरकारी भवन और जोड़े जायेंगें तथा सेकलेन एवं मेन मे संयुक्त रूप से 1000 अतिरिक्त कम्प्यूटर नोड्स भी जोड़े जायेंगें।

- **ई–सचिवालय** – राजस्थान सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पहल करते हुए ई–सचिवालय परियोजना की शुरूआत की है। इस परियोजना का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा वर्तमान में चल रही विभिन्न कार्यविधियों में मूलभूत परिवर्तन लाना है। इस परियोजना द्वारा सचिवालयों

अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचना प्रौद्योगिकी आधारित तंत्र के उपयोग में निपुण किया जायेगा जिससे उनके दैनिक गतिविधियों एवं जी 2 जी एवं जी 2 सी सेवाएं प्रदान करने में सहायता मिलेगी।

यह परियोजना वित्तीय वर्ष 2008–09 में प्रारंभ की जायेगी एवं एक वर्ष में पूर्ण कर ली जायगी। प्रथम चरण में वर्ष 2008–09 में कर्मचारी पोर्टल क्रियाशील कर दिया जायेगा।